



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एक.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/

1495

जयपुर दिनांक:-

5-11-2014

अधिपुनर्गठन:

विभागीय अधिसूचना संख्या एक.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव एवं की गई अनुरोधों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् भीलवाड़ा जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. **भीलवाड़ा** जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित पंचायत समितियां उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित हैं;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत समितियां अधिकारिता का प्रयोग करेंगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;

3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;

4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान ये पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में शामिल शीटों का नाम	पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति में शामिल शीटों का नाम
1	नाथद्वारा	1. होडा 2. मोहनपुरा 3. खारवल 4. गेपोली 5. श्यामगढ़ 6. लाडपुरा 7. विनोद 8. खटवाडा 9. कल्याणपुरा 10. रत्नाया 11. मानपुरा 12. मुकुन्दपुरा 13. आहिया	नाथद्वारा	1. होडा 2. मोहनपुरा 3. खारवल 4. गेपोली 5. श्यामगढ़ 6. लाडपुरा 7. विनोद 8. खटवाडा 9. कल्याणपुरा 10. रत्नाया 11. मानपुरा

14. सिंगोली 15. बरदनी 16. दुपास 17. सरणा 18. जाजवा 19. मोटरीकाखेडा 20. पाकड़खेडा 21. बरदखा 22. महुआ 23. काछेला 24. धाननिया 25. राजगढ़ 26. सखवा 27. शैलपुरा 28. जयपुरीकाखेडा 29. धलकला 30. श्रीनगर 31. झंझीला 32. लौकरन 33. श्यामपुरा 34. मागला 35. माल का खेडा 36. विजोशिया 37. थडीवा 38. भोमपुरा 39. पिकनपुरा 40. सदरमजीकाखेडा 41. गायलपुरा 42. उमालीखेडा 43. जलिनदी 44. सहायटिया 45. सुधपुरा 46. विजोशिया बुर्द 47. अरोली 48. मधनगर 49. बादलोली खेडी 50. तिलवा 51. कासा 52. नकरडी 53. गुडा	12. मुकुन्दपुरा 13. आहिया 14. सिंगोली 15. बरदनी 16. दुपास 17. सरणा 18. जाजवा 19. मोटरीकाखेडा 20. पाकड़खेडा 21. बरदखा 22. महुआ 23. काछेला 24. धाननिया 25. राजगढ़ 26. सखवा 27. शैलपुरा 28. जयपुरीकाखेडा 29. धलकला 30. श्रीनगर 31. झंझीला 32. लौकरन	1. श्यामपुरा 2. मागला 3. माल का खेडा 4. विजोशिया 5. थडीवा 6. मोहनपुरा 7. विजोशिया बुर्द 8. सदरमजीकाखेडा 9. गायलपुरा 10. उमाली का खेडा 11. जलिनदी 12. सहायटिया 13. सुधपुरा 14. विजोशिया बुर्द 15. अरोली 16. मधनगर 17. बादलोली खेडी 18. तिलवा 19. कासा 20. नकरडी 21. गुडा
2		विजोशिया

राज्यपाल की आज्ञा से,
(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री, महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज0 जयपुर।
6. समस्त समन्वय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. सक्षिप्त पत्रावली।

एव शासन सचिव(विधि)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराधि/2014/ 1458 जयपुर, दिनांक:- 5-11-14

:अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराधि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-88 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्संमानन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिवृत्त किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिलेखों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबधित संगीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् भीलवाड़ा जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्संमानन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. भीलवाड़ा जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्संमानित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्संमानित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायतें अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायतों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति-आसीन्द				
क्र.सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों में सम्मिलित ग्रामी का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संमानित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संमानित/नवसृजित ग्रामों में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	अम्बाली	1. अम्बाली 2. रूपपुरा 3. बाली 4. गुलाबपुरा	अम्बाली	1. अम्बाली 2. रूपपुरा 3. बाली 4. गुलाबपुरा 5. प्रतापपुरा

पंचायत समिति-इरडा				
क्र.सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5
1	खेजडी	1. खेजडी 2. गहरागढ़ 3. भीमलत 4. गहरा 5. मुन्हावा 6. खेडी 7. प्रतापपुर	खेजडी	1. खेजडी 2. गहरागढ़ 3. भीमलत 4. गहरा 5. मुन्हावा 6. खेडी

पंचायत समिति-शाहपुरा				
क्र.सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5
1	माताजी का खेडा	1. माताजी का खेडा 2. बावापुरा 3. अमरपुरा 4. रानीपुरा 5. सतीशपुरा 6. टोपा	माताजी का खेडा	1. माताजी का खेडा 2. बावापुरा 3. अमरपुरा 4. रानीपुरा 5. सतीशपुरा 6. टोपा 7. हजारौ कुंडा (शाहपुरा ग्रामीण)

पंचायत समिति-जहाजपुर				
क्र.सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5
1	जहाजपुर	1. जहाजपुर 2. कुंदलवाड़ा कला 3. मोरला 4. खेमा का खेडा 5. हनुमान नगर 6. अम्बडकर कोलोनी	जहाजपुर	1. जहाजपुर 2. मोरला 3. खेमा का खेडा 4. अम्बडकर कोलोनी
2	-	-	कुंदलवाड़ा कला	1. कुंदलवाड़ा कला 2. हनुमान नगर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को स्वचालित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज० जयपुर।
6. समस्त संगणकीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समाप्त।
11. रक्षित फाइल।

उप शासन सचिव(विधि)